

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लॉट नम्बर 28, जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/पोआ/11/1456
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08-08-11

1.8.11

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-समस्त (म.प्र.)
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना (ग्रामीण/आदिवासी)
जिला- समस्त (म.प्र.)

विषय-ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओं में सहायता वृत्त व्यवस्था के अंतर्गत स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार प्रदाय के देयकों के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ-1. म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र./एफ-3-2/09/50-2, दि. 1.10.09।

2. संचालनालय महिला एवं बाल विकास का पत्र क्र./पोआ/10/122 दि. 5.1.10, पत्र क्र./2885, दिनांक 7.4.10, पत्र क्र.1102, दिनांक 20.1.11 एवं पत्र क्र.295, दिनांक 14.2.11।

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए। सहायता वृत्त व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओं में स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार प्रदाय किया जाता है।

सहायता वृत्त अंतर्गत स्व सहायता समूहों के देयकों के भुगतान में आ रही विभिन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया था कि स्व सहायता समूहों का भुगतान की जाने वाली राशि मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित करने के स्थान पर अब जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कलेक्टर से स्थान स्थिकीति उपरान्त सीधे कोषालय से राशि आहरित कर स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में जमा कराएंगे। विभिन्न जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि स्व सहायता समूहों के देयक काफी समय से भुगतान हेतु लंबित है, तथा राशि का भुगतान सीधे स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में नहीं किया जा रहा है।

उक्त संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी एकजाई पत्रों के आधार पर कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर देयक स्व समूहों के बैंक खातों क्र. एवं राशि के विवरण सहित कोषालय में प्रस्तुत करें। कोषालय से तब सीधे समूहों के खातों में हस्तांतरित की जावे। स्व सहायता समूहों को देय राशि समय से प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(अक्षय श्रीवास्तव)

संयुक्त संचालक,

महिला एवं बाल विकास म.प्र.

भोपाल, दिनांक 08-08-11

10-08-11

पृष्ठा क्रमांक/पोआ/11/1457
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनाार्थ
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनाार्थ
3. कलेक्टर, जिला-समस्त की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला-समस्त की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. संभागीय संयुक्त संचालक समस्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कोषालय अधिकारी, समस्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास म.प्र.